

पर्या डिक्री
आयालय उपखण्ड अधिकारी (राजरव) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं० 185/2024

मान

1 रेमती पत्नी भादरराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम्

- 1 कैलाश पुत्री कृष्ण पत्नी बनवासी जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील
हाल सतासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 2 रानी पुत्री कृष्ण पत्नी भागीरथ जाति मेघवाल निवासी सालीवाला हाल आबाद
सतासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 3 दर्शन पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
- 4 मनोहर पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
- 5 तहसीलदार राजरव टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

- उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री भंवर लाल गौड :-वादीया
2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा:- प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 30/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री भंवरलाल गौड व वकील प्रतिवादी सुनील शर्मा सुनील शर्मा
अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी
की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री
किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीया का अतः वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत
साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया
जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादीया का चकनं० 8 एसबीएन के प०न०
196/202 मु० 9 किलानं० 1/.045 है० दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम, किला
न० 2/.126, 3/.126, 4/.126, 5/.126 है० प्रत्येक दक्षिणी दिशा, किला न०
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 उपरोक्त वर्णित आराजी का खाता प्रतिवादीगण

अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

से तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी